



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ९, अंक १५]

शुक्रवार, फेब्रुवारी १०, २०२३/माघ २१, शके १९४४

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १९

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)
वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated the 8th February, 2023
19 Magha, 1944 (Saka)

DIRECTION

No.576/3/EVM/2023/SDR-Vol.-I.— Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify;

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct;

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in all the constituencies for the **General Elections to the Legislative Assemblies of Meghalaya, Nagaland & Tripura announced vide the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/01/2023 dated 18th January, 2023** and bye elections to 01-Lumla(ST) Assembly Constituency of Arunachal Pradesh, 23-Ramgarh Assembly Constituency of Jharkhand, 98-Erode (East) Assembly Constituency of Tamil Nadu, 60-Sagardighi Assembly Constituency of West Bengal and 215-Kasba Peth & 205-Chinchwad Assembly Constituencies of Maharashtra announced vide the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/02/2023 dated 18th January, 2023

and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)] are available for taking the poll in the above said Assembly Constituencies and all the Assembly Constituencies of Meghalaya, Nagaland & Tripura, the polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers ;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby **specifies all the Assembly Constituencies of Tripura notified on 21st January 2023, all the Assembly Constituencies of Meghalaya & Nagaland and 01-Lumla(ST) Assembly Constituency of Arunachal Pradesh, 23-Ramgarh Assembly Constituency of Jharkhand, 98-Erode (East) Assembly Constituency of Tamil Nadu, 60-Sagardighi Assembly Constituency of West Bengal, 215-Kasba Peth & 205-Chinchwad Assembly Constituencies of Maharashtra notified on 31st January 2023**, as the constituencies in which the votes, shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

By Order,

S. B. JOSHI,
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक 8 फरवरी, 2023
19 माघ, 1944 (शक)**निदेश**

सं.576/3/ ईवीएम / 2023/एसडीआर/खण्ड.— यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों के अभिलेखन की यथाविहित ऐसी रीति अपनाई जाए, जैसी कि भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें ; और

2. यतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे डिजाइन वाला ड्राप बॉक्स युक्त एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मत के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए ; और

3. यतः, निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट संख्या ईसीआई / प्रे. नो./01/2023, दिनांक 18 जनवरी, 2023 के तहत घोषित मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/ प्रे. नो./02/2023, दिनांक 18 जनवरी, 2023 के तहत घोषित अरुणाचल प्रदेश के 01-लुम्ला (अ.ज.जा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड के 23- रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू के 98-इरोड (पूर्व) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के 60 - सागरदीधी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के 215-कसबा पेठ & 205-चिंचवड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, सभी निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई वी एम) एवं वीवीपैट प्रिंटर्स की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा दिनांक 21 जनवरी 2023 को अधिसूचित त्रिपुरा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में, दिनांक 31 जनवरी 2023 को अधिसूचित मेघालय, नागालैंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों और अरुणाचल प्रदेश के 01 - लुम्ला (अ.ज.जा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड के 23 - रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू के 98-इरोड (पूर्व) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के 60-सागरदीधी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के 215-कसबा पेठ & 205-चिंचवड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिनमें निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलोर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा विकसित किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटर्स, जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और रिकॉर्ड करने के लिए उक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,

एस. बी. जोशी,
प्रधान सचिव.

क्रमांक : ईव्हिएम-२०२३/प्र.क्र.१६१/२३/३३

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांक ९ फेब्रुवारी, २०२३.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :-

- (१) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई.
- (२) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पुणे.
- (३) उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पुणे.
- (४) निवडणूक निर्णय अधिकारी (२०५-चिंचवड व २१५-कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघ).
- (५) निवड नस्ती.

म. रा. पारकर,

उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी,

महाराष्ट्र राज्य.